कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2264 / 14–1, दिनांक, अमरोहा, फरवरी 19 2022,

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :– जनपद अमरोहा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विधुत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विधुत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्र संख्या 2457 / 14–1, दिनांक 07.02.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विधुत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विधुत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर आपके द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है :–

1. ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु सं0–13 (iii & iv) में स्थल की टोपोशीट एवं जियो मेप पर हस्ताक्षर कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2. ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड प्रस्तावित स्थल का फोटो प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
3. ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड मानक शर्त में श्री राजेश कुमार गुप्ता का नाम अंकित कर मानक शर्ते पुनः अपलोड कर दी गयी है।
4. प्रत्येक प्रस्ताव में पेन ड्राइव संलग्न कर दी गयी है।
5. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु सं0–4 के अनुरूप तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
6. प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर लिया गया है।

अतः भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

E:\Landtransfer\Private Land.docx 344